



दूरभाष/Telephone-0612-2225634

फैक्स/Fax 0612-2221056

ई-मेल/E-mail.agaebihar@cag.gov.in

वेबसाइट/Website-https://cag.gov.in/ae/bihar/en

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL(A&E), BIHAR, PATNA

O.O. No. - WM-I/2024-25/ 66

Date:- 07/08/2024

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि CGEGIS, 1980 नियम के पैरा 9.1 से 9.4 के अनुसार अनिवार्य CGEGIS राशि की कटौती के प्रावधान के बावजूद प्रमंडलीय लेखाकार / प्रमंडलीय लेखा अधिकारी संवर्ग के कर्मियों द्वारा CGEGIS में अनियमित कटौती दर्ज की जाती है जो कि CGEGIS, 1980 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। CGEGIS में अनियमित कटौती के कारण कर्मियों के CGEGIS Broadhseet में काफी Missing Credits पाये जाते हैं।

As per Para 9.1 to 9.4 CGEGIS Scheme, 1980, "membership for the scheme commences from 1st January every year after entering service and is payable till the end of service including the month in which an employee retires, dies, resigns or is removed from service.

अतः यह निर्देश दिया जाता है कि DA / DAO संवर्ग के सभी अधिकारी GIS में अपने योगदान की तुरंत समीक्षा करें और उसे Update करें। अपने वेतन से GIS की कटौती समय पर और सटीक करते हुए CGEGIS, 1980 के नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करें। इन निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपके GIS लाभ में विसंगतियां हो सकती हैं। सुनिश्चित करें कि आपका योगदान निर्धारित दरों के अनुसार है और आपके योगदान दरों में कोई भी बदलाव तुरंत संबंधित DDO को सूचित करें तथा आवश्यक सुधार कर CGEGIS की Broadhseet में दर्ज कराए।


उप महालेखाकार (कार्य)